समाचार पत्रों की कतरनें

नवम्बर 2024

15 साल पुरानी गाड़ियों को ऑटो चेक किया जाएगा, सरकार बनाने जा रही सेंटर

रैहन में निजी स्कूल एसोसिएशन की बैठक में बोले अध्यक्ष जगजीत सिंह

हिमाचल दस्तक ■ फतेहपुर

उपमंडल फतेहपुर के रैहन में शुक्रवार को निजी स्कूल एसोसिएशन की बैठक आयेजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष जगजीत ठाकुर ने भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत में फतेहपुर, इंदौरा, नूरपुर, जवाली एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र मनकोटिया ने हिमाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के एसोसिएट मेंबरशिप लेने का प्रस्ताव फतेहपुर, इंदौरा, नूरपुर, जवाली (फिनजा) के सदस्यों के समक्ष रखा जिसका फतेहपुर, इंदौरा, नूरपुर, जवाली के सदस्यों ने स्वागत किया। फिनजा के सदस्य अजय पठानिया ने अपने क्षेत्र के निजी स्कूलों की समस्याओं को सबके सामने उजागर किया, जिस पर प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान जगजीत सिंह ने बताया कि स्कूल बसों की समस्याओं को लेकर सरकार से बात की जा चुकी है जिस पर सरकार कुछ ऑटो चेकिंग सेंटर बनाने जा रही है जिस पर 15 साल पुरानी गाड़ियों को ऑटो चेक किया जाएगा व उनको पास किया जाएगा। वहीं सुशवीन पठानिया द्वारा किताबों के बारे में पूछे प्रश्न पर उन्होंने कहा कि बोर्ड में इस बाबत बात हो चुकी है बोर्ड ने दो साल के अंदर अंदर सिलेबस बदले का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल, बोर्ड की किताबें लगाने के साथ अन्य किताबें भी अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकता है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला कांगड़ा के प्रधान देव राज वर्मा, सचिव राजेश ठाकुर के साथ निजी स्कूल संचालकों में राजीव कुमार, निर्मल सिंह, हरजीत राणा, राम कुमार वर्मा, मनु ठाकुर, स्वर्ण सिंह, कमल सिंह, राष्ट्र कुमार, संजय राणा, कंवर सिंह, अश्वनी कुमार के साथ अन्य उपस्थित रहे।

कहा- निजी स्कूल बसों को लेकर सरकार से हो चुकी है बात

हिमाचल दस्तक, दिनांक–2.नवम्बर.2024
पेज न0.4, कालम–1,2

Now, e-challan to be issued at NHAI toll plazas

LALIT MOHAN
TRIBUNE NEWS SERVICE

DHARAMSALA, NOVEMBER 2

Now be ready for the e-challan of vehicles on four-lane roads of the National Highways Authority of India (NHAI) in Himachal if your documents are not in order. The state Department of Transport is going to introduce a software functional that will use the data generated from toll plazas of the NHAI to issue e-challans. The National Informatics Centre (NIC) has developed the software for the transport department.

Sources say that many vehicles that are entering Himachal without paying the state tax, may get noticed in the new system to be implemented by the Transport Department. The software is designed to catch offenders on various counts such as the fitness of vehicles, payment of the state tax of the All-India Tourist Permit (AITP) fee and the lack of pollution or insurance certificates.

Bhupinder Pathak, NIC official working for the Transport Department, says the Delhi Government is also implementing the project. The data generated at the toll plazas of the NHAI will be used to issue e-challans to the offenders.

He says that the NHAI toll plazas generate all data giving the entire information regarding the vehicle crossing the barriers. The plaza authorities will upload the information regarding the vehicles passing through to the transport authorities every day. The transport authorities, with the help of this software, will analyse the data provided by the NHAI. The software will help detect the violation of norms by vehicles and automatically issue e-challans.

The Tribune, 3rd Nov. 2024

Page No.-2, Colums-1,2,3,4

जिलावासियों को इस वर्ष मिल जाएगी सौगात, 40 कनाल भूमि पर हो रहा निर्माण

रौड़ा में ट्रैफिक पार्क का 80 फीसदी काम पूरा

चंद्रमोहन चौहान ■ ऊना

प्रदेश के सबसे लंबे हरोली-रामपुर पुल के नजदीकी ग्राम पंचायत रोड़ा में बन रहा ट्रैफिक पार्क का कार्य तेज गति से चल रहा है। उम्मीद है कि दिसंबर माह के अंतिम दिनों में ट्रैफिक पार्क का कार्य खत्म होने के बाद जिलावासियों को नई सौगात मिल जाएगी।

फिलवक्त ट्रैफिक पार्क का कार्य 80 प्रतिशत खत्म हो चुका है। शेष कार्य भी जल्द खत्म होने की आस है। ट्रैफिक पार्क सहित परिवहन विभाग के अनुरूप भवन, सेंसर सिस्टम जैसी सुविधाओं को लेकर इस पर करीब 8 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। बता दें इस ट्रैफिक पार्क को करीब 40 कनाल

■ मोहाली की तर्ज पर बन रहे ट्रैफिक पार्क पर खर्च हो रहे 8 करोड़ रुपये

भूमि पर बनाया जा रहा है। ट्रैफिक पार्क के निर्माण का शिलान्यास उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीते दिसंबर माह में किया था। 11 माह के भीतर तेजी से चला निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। ट्रैफिक पार्क बनने के बाद यहां पर यातायात नियमों पर लोगों को शिक्षित करने और सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लाभ मिलेगा। गाड़ियों के लाइसेंस व उनकी जांच के लिए सेंसरयुक्त ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक कुशल चालक बनने में मदद करेगा। निपुण यातायात चालकों सहित यातायात नियमों के ज्ञान के लिए पार्क में विभिन्न सुविधाएं देखने को मिलेंगी। ट्रैफिक पार्क बनने की सबसे खास बात यह है कि प्रतिदिन लाइसेंस बनाए जा सकेंगे, जिससे वाहन चालकों को लाइसेंस बनाने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे वाहन चालकों के समय की भी बचत होगी।

बच्चे जान सकेंगे यातायात नियम व साइन

ट्रैफिक पार्क में स्कूली बच्चों को यातायात नियम व साइन के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। इसके लिए पार्क में ही अलग से व्यवस्था रखी गई है। यहां बच्चों को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

ट्रेनिंग ट्रैक बनने से ये होंगे लाभ

बहु-उद्देश्यीय ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक बनने के बाद वाहनों की जांच से लेकर लाइसेंस बनाने तक मानवीय हस्तक्षेप लगभग खत्म होगा। ट्रैक का कंप्यूटरीकृत सिस्टम एवं सेंसरयुक्त उपकरण, मशीनें वाहनों के प्रदूषण, लाइफ जैसी औपचारिकताओं की जांच स्वयं करेंगी। सेंसरयुक्त ट्रैक पर ऑनलाइन कैमरे, सेंसर सिस्टम लाइसेंस की प्रक्रिया को भी पुख्ता बनाएगा। सेंसरयुक्त ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक दोनों ही एक साथ बनेंगे।

"ट्रैफिक पार्क का कार्य अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि दिसंबर माह में ट्रैफिक पार्क का कार्य खत्म हो जाएगा और इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। जिलावासियों के लिए यह बड़ी सौगात होगी।

-अशोक धीमान, आरटीओ, ऊना।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–5.नवम्बर.2024

पेज न0.10, कालम–4,5,6,7,8

सोशल मीडिया से ड्राइवरों को जागरूक कर रहा ट्रैफिक टूरिस्ट एवं रेलवे विभाग

वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

■ टीटीआर पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक करने को चलाया अभियान

■ एएसपी नरवीर राठौर बोले; सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी, ट्रैफिक नियमों का करें पालन

हिमाचल प्रदेश पुलिस के ट्रैफिक टूरिस्ट एवं रेलवे विभाग वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाया है। एएसपी टीटीआर नरवीर राठौर ने नेतृत्व में ट्रैफिक टूरिस्ट एवं रेलवे पुलिस की टीम सोशल मीडिया के माध्यम से वाहन चालकों को जागरूक कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौड़ ने कहा कि सड़क सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वाहन चालक वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनें, गति सीमा का पालन करें, ध्यान भटकाने से बचें, हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, सुरक्षित दूरी रखें, अपने वाहन की जांच करें, संयम से गाड़ी चलाएं, परिवेश से सावधान रहें व टर्न सिग्नल का उपयोग करें। नरवीर सिंह राठौड़ ने आगे बतलाया कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर उल्लंघन करता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए विभिन्न तरह के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। इसमें उल्लिखित उल्लंघनों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, सीट बेल्ट न पहनने पर जुर्माना एक हजार रुपए, स्पीड लिमिट का पालन, ओवर स्पीडिंग के लिए जुर्माना वाहन और उससे अधिक स्पीड के आधार पर अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, हल्के मोटर वाहनों के लिए जुर्माना एक हजार प्रथम अपराध के लिए दो से चार हजार रुपए बाद के अपराधों के लिए जुर्माना किया जा सकता है।

ध्यान भटकाने से बचना

एएसपी नरवीर राठौर ने बताया कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 1000 से 5000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर एक हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने पर एक हजार से लेकर पांच हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है।

वाहन चलाते समय सुरक्षित दूरी बनाएं

वाहन चलाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखें। वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए न रखने पर एक हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा यह सुनिश्चित नहीं करने पर कि आपका वाहन सड़क पर चलने लायक स्थिति में है, नहीं तो आपके वाहन को 500 से एक हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। एएसपी नरवीर राठौर ने बताया कि शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाने पर दस हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है।

एमर्जेंसी गाड़ियों को रास्ता न देने पर दस हजार रुपए जुर्माना

लापरवाही से दुर्घटनाएं होने पर भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं, जैसे लापरवाही से गाड़ी चलाना (धारा 279) या लापरवाही से मौत (धारा 304 ए)। आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और टर्न सिग्नल का उपयोग न करने पर एक हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

लापरवाही से गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा

भारतीय दंड संहिता के तहत, सड़क सुरक्षा से संबंधित उल्लंघनों पर आपराधिक आरोप भी लगाए जा सकते हैं, जैसे लापरवाही से गाड़ी चलाना (धारा-279), दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना (धारा-337), और लापरवाही से मौत का कारण बनना (धारा-279) 304ए) शामिल है। याद रखें, सड़क सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है और इन युक्तियों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोकने और जीवन बचाने में मदद मिल सकती है।

दिव्य हिमाचल, दिनांक–5.नवम्बर.2024

पेज न0.4, कालम–1,2

तैयारी

ड्राइविंग स्कूलों से प्रमाणपत्र लेना जरूरी, आरटीओ शिमला ने प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेजा

बिना प्रशिक्षण अब शहर में नहीं बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले इच्छुक युवाओं को अब ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा। इसके लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला ने प्रस्ताव तैयार किया है।

प्रस्ताव के तहत लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद आवेदक को ड्राइविंग स्कूल से कम से कम एक महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा। यहां से प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही वह नियमित लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रस्ताव को तैयार करने के बाद आरटीओ शिमला की ओर से इसे जल्द प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर सरकार से इस प्रस्ताव मंजूरी मिलती है, तो आने वाले दिनों में इसे लागू कर दिया जाएगा।

> “ सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना है कि अब उन्हीं लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे, जिन्होंने ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजा जा रहा है। सरकार से मंजूरी मिलती है तो इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ”
>
> –अनिल कुमार शर्मा, आरटीओ शिमला

तीन आरएलए के तहत हर महीने बनते हैं 500 से अधिक लाइसेंस

परिवहन विभाग के मुताबिक सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। वर्तमान में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। इसकी वैधता छह महीने की होती है। इसके बाद आवेदक एक महीने के बाद नियमित लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें स्कूल से प्रशिक्षण लेने की बाध्यता नहीं थी। परिवहन विभाग की ओर से तैयार किए प्रस्ताव के मुताबिक लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद आवेदक को ड्राइविंग स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और यहां से प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही वह नियमित लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा।

खास खबर

यहां टेस्ट पास करने के बाद ही आवेदक को लाइसेंस जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग के मुताबिक आरटीओ शिमला, शिमला ग्रामीण और शिमला शहरी क्षेत्र के अंतर्गत हर महीने 500 से अधिक लोग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं।

अमर उजाला, दिनांक–5.नवम्बर.2024

पेज न0.3, कालम–1,2,3,4,5

हादसे से सबक न लेना अगले हादसे को न्योता

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमवार सुबह एक बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे की वजह बस की कमानी का पट्टा टूटना सामने आई है, लेकिन ये तकनीकी खराबी 36 लोगों की जान पर भारी पड़ गई। 42 सीटर बस में 63 के करीब यात्री सवार थे। दिवाली का त्योहार मनाने के बाद लोग अपने कार्यस्थलों के लिए लौट रहे हैं। इस बस में भी नियमित सवारियों के अलावा ज्यादातर ऐसे ही लोग सवार थे। परिवार के साथ कुछ पल बिताने के बाद हंसी-खुशी लोग अपनी मंजिल की ओर निकले थे, इस बात से अनजान कि उनकी ये मुलाकात आखिरी है। सड़क परिवहन मंत्रालय के 2023 के आंकड़े अभी कुछ दिन बाद जारी होंगे लेकिन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में ड्राइवरों के अपने वाहनों पर नियंत्रण खो देने के कारण हादसों में 5 फीसदी का इजाफा हुआ। लेकिन कई बार वाहनों में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से भी दुर्घटनाओं का ग्राफ ऊपर चढ़ जाता है। यानी एक तरह से ड्राइवर की गलतियों या तकनीकी खराबी के कारण हर साल करीब 10 हजार लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये दिक्कत उन गाड़ियों में आती है जो अपनी आयु पूरी कर चुकी हों या फिर इसके आसपास हों। इनके कलपुर्जों की नियमित जांच न होने के कारण भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अब मशीनरी कोई इंसान तो है नहीं कि ज्यादा बोझ हो जाने पर इशारा कर दे कि बस अब और नहीं। बस में अगर आप जरूरत से ज्यादा सवारियां बैठा लेंगे ये तब भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहेगी, लेकिन ये कब होनी को अनहोनी में बदल दे कोई नहीं बता सकता। चालक-परिचालक को भी चाहिए कि बसों में ठूंस-ठूंसकर सवारियां न भरें लेकिन वे ऐसा करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, खर्चे कैसे निकलेंगे। बस यही रोज का लालच एक दिन कई निर्दोष लोगों की जान पर भारी पड़ जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए हादसे में ये भी सामने आ रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ऐसे हालात बनते ही क्यों हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि चालकों को नियमित अंतराल के बाद आराम करने का पूरा समय ही नहीं दिया जाता है। सरकारी बस चालकों की बात की जाए तो उनके लिए भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। एक लंबा रूट तय करने के बाद जब चालक को पता चलता है कि उसे गाड़ी से उतरना नहीं है बल्कि एक अन्य रूट पर बस ले जानी है, सोचो उस वक्त उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। शरीर कह रहा है कि थोड़ा आराम चाहिए लेकिन अधिकारियों के आदेश कह रहे हैं कि पहले सवारियों को मंजिल तक पहुंचाकर आओ। अब ऐसे में कोई हादसा हो जाए तो जवाबदेही तो ड्राइवर की ही होगी न। बाकी तो 'मामले की जांच होगी' बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे। व्यवस्थाओं में सुधार तो सरकार और प्रशासन को ही करना होगा। जहां जरूरत है वहां अतिरिक्त बसें चलाई जाएं और जहां खटारा बसें हादसे का कारण बन सकती हैं वहां नई बसों की व्यवस्था करनी चाहिए। करीब दो साल पहले कुल्लू में भी एक बस खाई में गिर गई थी। हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 9 स्कूली बच्चे भी शामिल थे। इसी तरह करीब 6 साल पहले कांगड़ा के नूरपुर के मलकवाल में प्राइवेट स्कूल की बस के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 28 बच्चों की जान चली गई थी। इस तरह के हादसे खुशहाल घरों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देते हैं। अपनों को खोने का दुख क्या होता है ये जिस घर में मातम पसरा हो उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन दिक्कत ये है कि इतने हादसे होने के बाद भी कहीं कोई सुधार हुआ हो, नजर नहीं आता।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–6.नवम्बर.2024

पेज न0.6, कालम–1

कार का लाइसेंस है, तो अब बेधड़क चला सकेंगे हल्के व्यावसायिक वाहन

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : एलएमवी लाइसेंस धारकों को 7,500 किलो तक के वाणिज्यिक वाहन चलाने की अनुमति

कहा-ऐसे बीमा क्लेम से मना नहीं कर सकतीं कंपनियां इनके भारी वाहन चलाने से हादसे बढ़ना साबित नहीं

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसले में कहा कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) के ड्राइविंग लाइसेंस धारक भी 7,500 किलोग्राम तक के व्यावसायिक वाहन चला सकेंगे। यानी आपके पास कार का लाइसेंस है, तो आप हल्के व्यावसायिक वाहन बेधड़क चला सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा, बीमा कंपनियां एलएमवी लाइसेंस के आधार पर बीमा क्लेम से मना नहीं कर सकतीं। यह निर्णय एलएमवी लाइसेंस धारकों को बीमा दावा करने में मदद करेगा।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्थल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को ड्राइविंग लाइसेंस देते समय नियमों का पालन करना चाहिए। पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए जस्टिस हृषिकेश राय ने कहा कि यहां सिर्फ कानून का सवाल नहीं है। कानून के सामाजिक असर को भी समझना जरूरी है, ताकि लोगों के सामने मुश्किल न खड़ी हो।

पीठ ने 126 पन्नों के फैसले में मुकुंद देवांगन मामले में अपने 2017 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि एलएमवी लाइसेंस धारक 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले परिवहन वाहन चला सकते हैं। पीठ ने कहा, एलएमवी और परिवहन वाहन पूरी तरह से अलग श्रेणी नहीं हैं।

दुर्घटना की वजह लापरवाही और नशा भी

शीर्ष अदालत ने कहा, लाखों लोग ऐसे परिवहन वाहन चलाकर रोजगार कमा रहे हैं, जिनका वजन माल के बिना 7500 किलोग्राम से कम होता है। एलएमवी लाइसेंस रखने वाले ऐसे चालक अपना अधिकतम समय गाड़ी चलाते हुए बिताते हैं। बीमा कंपनियां यह दिखाने में नाकाम रही हैं कि एलएमवी लाइसेंस धारक चालकों के भारी वाणिज्यिक वाहन चलाने से दुर्घटनाएं हो रही हैं।

सड़क सुरक्षा दुनिया के लिए गंभीर मसला

अदालत ने कहा, सड़क सुरक्षा पूरी दुनिया के लिए गंभीर विषय है। बीते साल भारत में 1.7 लाख लोग सड़क हादसों में मारे गए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए सिर्फ एलएमवी लाइसेंस धारक जिम्मेदार हैं। सीट बेल्ट, हेलमेट पहनने जैसे नियमों का पालन न होना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल, नशा जैसे कई कारण हैं, जिनके चलते सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।

चुटकी भी ली : फैसला सुनाने के दौरान हल्के अंदाज में जस्टिस हृषिकेश रॉय ने कहा कि हममें से ज्यादातर मानते हैं, जो लोग हमसे धीमी गति में वाहन चलाते हैं मूर्ख होते हैं और जो हमसे तेज चलाते हैं, वे पागल होते हैं।

लाइसेंस से पहले ड्राइविंग टेस्ट जरूर लें...सभी नियम मानें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले निजी या व्यावसायिक वाहनों में अंतर करना सही नहीं होगा। विशेष लाइसेंस का नियम इससे अधिक वजन के वाहनों के लिए होना चाहिए। हालांकि, अतिरिक्त मानक एवं अनुमति ई-कार्ट व जोखिम वाले सामान ले जाने वाले वाहनों पर लागू होती रहेंगी। लाइसेंस देते वक्त हर नियम का पालन किया जाना चाहिए। अथॉरिटी को लाइसेंस देने से पहले ड्राइविंग टेस्ट जरूर लेना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि चालक के कौशल और यातायात के नियमों का पालन करने से ही हादसे रोके जा सकते हैं। तकनीकी प्रावधानों का लाभ लेकर बीमा कंपनियां हादसे के पीड़ितों के दावों से इन्कार नहीं कर सकती हैं।

2017 में पहली बार उठा था यह मुद्दा

2017 में मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि जिस परिवहन वाहन का कुल वजन 7,500 किलोग्राम से कम हो, उसे एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल की परिभाषा से बाहर नहीं किया जा सकता। इसके बाद बड़ी संख्या में बीमा दावे शुरू हो गए, तो बीमा कंपनियों ने याचिका दाखिल की थी।

- मार्च, 2022 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केस संविधान पीठ के पास भेज दिया, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार, दो श्रेणियों के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता के मामले में कुछ भिन्नताएं थीं। बीते साल 18 जुलाई को संविधान पीठ ने कानूनी सवाल से निपटने के लिए 76 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। मुख्य याचिका बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने दायर की थी।

बीमा कंपनियों ने अदालतों पर लगाया था आरोप : बीमा कंपनियों का आरोप था कि मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) और अदालतें एलएमवी लाइसेंस से जुड़ी उनकी आपत्तियों की अनदेखी करते हुए बीमा दावों का भुगतान करने के लिए आदेश जारी कर रही हैं। विवादों का निपटारा करते वक्त अदालतें बीमाधारक के पक्ष में फैसला सुना रही हैं।

अमर उजाला, दिनांक–7.नवम्बर.2024

पेज न0.1, कालम–1,2,3,4

शिमला में ओवरलोडिंग के खिलाफ छेड़ी मुहिम

आरटीओ शिमला ने दो बसों सहित 17 गाड़ियों के किए चालान, ओवरलोड वाहनों को रोककर चालकों को दी हिदायत

दिव्य हिमाचल ब्यूरो–शिमला

आरटीओ शिमला ने ओवरलोड वाहनों को लेकर कार्रवाई शुरू की है।

यहां शुरू की गई विशेष मुहिम 12 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें ऐसे सभी वाहनों मालवाहनों को पकड़ा जाएगा, जोकि ओवरलोड हैं। इनमें बसें भी शामिल हैं, जिनको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को दो ओवरलोड बसों को भी शोघी से शिमला रोड पर रोका गया है, जिनके चालान काटे गए। बताया जाता है कि आरटीओ शिमला अनिल शर्मा की अगवाई में बुधवार को इस मुहिम के तहत कुल 17 चालान किए गए हैं।

शाम तक उनका नाका यहां पर लगा रहा और इस नाके के दौरान उन्होंने छोटी पिकअप व टैम्पो ट्रैवलर भी पकड़े हैं जिनमें क्षमता से अधिक सामान व सवारियां भरी थीं। उन्होंने वाहन चालकों को जागरूक किया और हिदायत दी कि वह ओवरलोडिंग न करें। ओवरलोडिंग से क्या हो सकता है

इसके बारे में भी उनको जागरूक किया गया।

नियमों के तहत किस वाहन के लिए कितनी क्षमता रहती है इसके बारे में भी बताया गया। दो बसों के चालान भी इस दौरान उन्होंने किए हैं, जिनमें अधिक सवारियां भरी थीं। यह प्राइवेट बसें थीं जिनके चालान काटे गए हैं। यह मुहिम अभी जारी रहेगी और इस दौरान पूरी मुस्तैदी के साथ ऐसे वाहनों को रोका जाएगा जिनमें ओवरलोडिंग होगी। अनिल शर्मा ने

- लगातार शिकायतें मिलने पर की कार्रवाई

बताया कि ओवरलोडिंग को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। पिकअप वाहनों में भी क्षमता से अधिक सामान भरा जाता है जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बस-मालिकों को भी हिदायत दी कि वो क्षमता से अधिक सवारियां न बिठाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

शिमला। ओवरलोड वाहनों के चालान करते आरटीओ शिमला

दिव्य हिमाचल, दिनांक–7.नवम्बर.2024

पेज न0.4, कालम–1,2,3,4,5,6

बेरोजगारों को 18 सीटर ट्रैवलर के परमिट देगी सरकार

शकील कुरैशी — शिमला

हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। सरकार मिनी बसें, जो कि 18 सीटर ट्रैवलर होती हैं, को चलाने के लिए बेरोजगार युवाओं को परमिट जारी करेगी। 18 सीटों वाली ट्रैवलर उन सड़कों पर चलेगी, जहां पर अभी तक कोई बस नहीं जा रही और वहां पर लोगों को परिवहन के लिए जरूरत है। सरकार के इस कदम से बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार भी मिलेगा। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के सभी आरटीओ को रूट लिस्ट भेजने को कहा गया है आरटीओ को कहा गया है कि वह ऐसे रूटों की लिस्ट बनाकर भेजें, जिन पर अभी तक बस सेवा नहीं है। वहां पर लोगों की डिमांड आ रही है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए ट्रैवलर चलाई जा सकती हैं। 18 सीटर ट्रैवलर कहीं पर भी आसानी से चल सकती है, जिसके लिए बड़ी सड़क की जरूरत भी नहीं रहती है। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों कैबिनेट में यह निर्णय लिया था कि बेरोजगार युवाओं को ट्रैवलर के रूट परमिट दिए जाएंगे। कैबिनेट के निर्णय के बाद परिवहन विभाग ने इसकी संभावनाएं देखी हैं और पाया है कि प्रदेश में ट्रैवलर का कारोबार चल सकता है और इससे बड़े पैमाने स्वरोजगार हासिल हो सकता है। इस पर पूरा वर्क आउट किया गया है, जिसके बाद सभी आरटीओ से इस पर जानकारी मांगी है। बता दें कि एचआरटीसी के पास छोटी बसों की खासी कमी है और लगातार इन बसों की डिमांड आ रही है। इसके साथ ही सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एचआरटीसी केवल इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदेगा, मगर यहां डिमांड डीजल बसों की है। ऐसे में अब ट्रैवलर चलाने का निर्णय हुआ है। जल्दी ही परिवहन विभाग के पास सभी आरटीओ से रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद तय रूट पर कमेटी को भेजा जाएगा और फिर युवाओं से आवेदन मांगे जाएंगे। एक तरफ ट्रैवलर का मामला है, तो दूसरी तरफ प्राइवेट बस ऑपरेटरों को भी रूट दिए जाने हैं, जिनके लिए आरएलए की बैठकें हो चुकी हैं और अब केवल रूट जारी किए जाने हैं। वे भी इंतजार में हैं, क्योंकि एचआरटीसी ने 107 रूट सरेंडर कर रखे हैं। करीब एक महीने से चल रहा यह मामला भी कुछ हद तक सोमवार तक निपट सकता है। अब कितनी संख्या में ट्रैवलर के रूट दिए जाते हैं, यह देखना होगा।

“ आरटीओ से 18 सीटर ट्रैवलर के लिए रूट चिन्हित करने को कहा गया है। उनसे पूरी सूची मांगी गई है, जिसके बाद पूरी पड़ताल के साथ आवेदन मांगे जाएंगे। सरकार के निर्देश हैं कि ट्रैवलर के रूट परमिट दिए जाएं, जिसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है

डीसी नेगी, निदेशक, परिवहन

दिव्य हिमाचल, दिनांक–9.नवम्बर.2024
पेज न0.4, कालम–1,2,3,4,5

सरेंडर के बाद नए रूट के आवेदन पर नाराज

एचआरटीसी के काम से प्राइवेट ऑपरेटर खफा

चीफ रिपोर्टर–शिमला

- परिवहन निगम के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी

प्राइवेट बस ऑपरेटर संघ, एचआरटीसी के खिलाफ मुखर हो गया है। एचआरटीसी द्वारा नए बस रूट के आवेदनों को लेकर प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि यदि एचआरटीसी को अस्थायी रूप से नए रूट आबंटित किए गए, तो वह लोग अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। प्राइवेट बस ऑपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि उन्होंने इसके खिलाफ परिवहन निदेशक को लिखित शिकायत दी है और उस पर कदम नहीं उठाया गया तो वह अदालत जाएंगे। उन्होंने परिवहन निदेशक से आग्रह किया कि एचआरटीसी द्वारा नए रुट परमिट के लिए आवेदन किया है और अगर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा एचआरटीसी को रुट परमिट जारी किए गए वो उच्च नयायलय के आदेशों की अवहेलना होगी। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एचआरटीसी को नए परमिट नहीं दिए जा सकते। एचआरटीसी के लिए मोटर वाहन अधिनियम के चैप्टर-6 के तहत दस मार्च, 2015 को जो स्कीम बनाई गई थी और उस स्कीम के तहत सैकड़ों रूट परमिट अस्थायी तौर पर एक साल के लिए दिए थे लेकिन उच्च न्यायालय में दायर मामलों के अनुसार उस स्कीम को गलत तरीके से बनाया था। जो फैसले अदालत से आए हैं उनके अनुसार 28 मार्च, 2015 को वह स्कीम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बनाने के आदेश पारित हुए थे। एचआरटीसी के लिए जो स्कीम की नोटिफिकेशन 10 मार्च, 2015 को की गई थी तथा उसकी अंतिम अधिसूचना 20 फरवरी, 2016 को की गई थी उसे स्टे कर दिया था जिसके साथ यह अंतिम अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी, 2016 को समाप्त हो गई थी।

अब उन सभी अस्थायी रूट परमिट को रद्द किया जाना था जो कि एचआरटीसी को फाइनल नोटिफिकेशन दस मार्च, 2015 के बाद दिए थे लेकिन उन परमिटों को रद्द न करके उन परमिटों को मोटर वाहन अधिनियम की अवहेलना तथा सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा करके एचआरटीसी को वह परमिट रेगुलर जारी कर दिए गए।

मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एचआरटीसी को अस्थायी रूट परमिट नही दिया जा सकता। अगर एचआरटीसी को रूट परमिट जारी करना है, तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत उसकी पब्लिकेशन नोटिफिकेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद ही उस परमिट को दिया जा सकता है। प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने इस शिकायत को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी भेजा है और कहा है कि यदि एचआरटीसी को परमिट देने है, तो दोबारा से नए सिरे से नोटिफिकेशन की जाए।

दिव्य हिमाचल, दिनांक–9.नवम्बर.2024
पेज न0.4, कालम–1,2,

परिवहन निदेशक ने बुलाए प्राइवेट बस आपरेटर

चीफ रिपोर्टर – शिमला

- 12 नवंबर को होगी बैठक जेएनएनयूआरएम की बसों पर देंगे सुबूत
- कलस्टर से बाहर बसें चलाए जाने पर की थी शिकायत

प्रदेश के परिवहन निदेशक ने प्राइवेट बस आपरेटर संघ को वार्ता के लिए बुलाया है। मंगलवार को उनके साथ बैठक होगी, जिसमें जेएनएनयूआरएम के तहत एचआरटीसी द्वारा कलस्टर से बाहर चलाई जा रही बसों को लेकर सुबूत देने को कहा गया है। प्राइवेट आपरेटरों से पूछा गया है कि उनके पास ऐसे कौन से सुबूत हैं कि एचआरटीसी इन बसों को कलस्टर से बाहर चला रहा है। क्योंकि आपरेटरों की तरफ से शिकायत की गई है और कार्रवाई की मांग हुई है। लिहाजा परिवहन निदेशक ने उनको बैठक के लिए बुलाया है, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। न केवल इस बैठक में कलस्टर से बाहर बसों को चलाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, बल्कि अस्थायी रूटों को लेकर हुई दूसरी शिकायत पर भी बात होगी। इनकी बात सुनने के बाद फिर एचआरटीसी के अधिकारियों से पूरे मामले पर जवाब मांगा जाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद परिवहन निदेशक इस पर अपना निर्णय लेंगे। प्राइवेट आपरेटर पहले ही अदालत में जाने की चेतावनी दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम और प्रदेश के प्राइवेट बस आपरेटरों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से ठनी हुई है। मामला जेएनएनयूआरएम के तहत हिमाचल को मिली बसों का है, जिनको केवल हिमाचल के भीतर शहरी क्षेत्रों में ही चलाया जा सकता है। इनके लिए कलस्टर बनाया गया है और उसके तहत ही इनको चलाया जा सकता है, मगर आरोप है कि एचआरटीसी इन बसों को इससे बाहर चला रहा है। प्राइवेट बस आपरेटरों का आरोप है कि परिवहन निगम इन बसों को इंटर स्टेट भेज रहा है। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके खिलाफ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की एक शिकायत हिमाचल निजी बस आपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने परिवहन निदेशक डीसी नेगी को सौंपी है, जिस पर अब उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया है। प्राइवेट बस आपरेटर संघ की ओर से अध्यक्ष राजेश पराशर व महासचिव रमेश कमल के अलावा दूसरे पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्राइवेट बस आपरेटर संघ का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू अर्बन मिशन की बसें गैर कानूनी तरीके से कलस्टर से बाहर और अंतरराज्यीय रुटों पर चलाई हुई हैं। संघ के महासचिव रमेश कमल ने बताया कि मंगलवार को उन्हें बैठक के लिए बुलाया गया है, जहां पर वह कलस्टर से बाहर चल रही बसों का पूरा ब्यौरा देंगे। वहीं परिवहन निदेशक डीसी नेगी ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है, जिस पर पूरी पड़ताल के बाद ही आगामी कार्रवाई होगी।

दिव्य हिमाचल, दिनांक–10.नवम्बर.2024
पेज न0.4, कालम–7,8,

सड़क हादसे हर साल छीन रहे 900 से ज्यादा जिंदगियां

हिमाचल दस्तक ■ शिमला

- पहाड़ी राज्य हिमाचल में लगातार बढ़ रहे हादसे चिंता का कारण
- पिछले 23 साल में 22 हजार से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत

साल 2023 में 882 लोगों को जान गई

साल 2023 में हिमाचल प्रदेश में 2255 सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 882 मौतें हुईं और 3542 लोग घायल हुए। साल 2022 में 2557 सड़क हादसे पेश आए। इन सड़क हादसों में 1032 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 2597 लोग घायल हुए थे।

पहाड़ी राज्यों में शुमार हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों में ज्यादातर लोग जान गंवा रहे हैं। आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो पिछले 23 सालों में हिमाचल में 22 हजार से ज्यादा लोगों की मौत सड़क हादसों में हो चुकी है। हर साल 965 लोग सड़क हादसों में काल का ग्रास बन रहे हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते हादसों में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि पुलिस विभाग चालकों को जागरुक करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है।

पहाड़ों में सर्पिली, संकरी और घुमावदार सड़कें हादसों का मुख्य कारण बन रही हैं। हालांकि समय-समय पर हिमाचल में ऐसे ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए जाते हैं, जहां पर सड़क हादसे ज्यादा होते हैं और लोगों की जान जाती है। यहां पर लोगों को जागरुक करने के लिए साइन बोर्ड भी लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद चालक लापरवाही से वाहन चलाते हैं और यहां पर लगातार हादसे पेश आ रहे हैं। रात आठ बजे के बाद हिमाचल की सड़कों पर ज्यादा हादसे हो रहे हैं। पुलिस की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। हिमाचल में सड़क हादसों में बीते 23 सालों में 22,216 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर औसतन बात की जाए तो प्रतिवर्ष 965 लोग हिमाचल की सड़कों में हर साल सड़क हादसों में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं जो कि छोटे से पहाड़ी राज्य के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा घायलों की संख्या लाखों में है। औसतन हिमाचल में हर साल सड़क हादसों में 5 हजार से अधिक लोग घायल हो जाते हैं।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–11.नवम्बर.2024

पेज न0.3, कालम–1,2,3

निजी बस ऑपरेटरों को 52 बस रूट किए जारी

शिमला। परिवहन विभाग ने निजी बस ऑपरेटरों को 52 बस रूट जारी कर दिए हैं। एचआरटीसी ने घाटे के रूट का हवाला देकर इन रूटों को सरेंडर किया था। कुल 107 रूटों में से 52 रूट को ही मंजूरी दी गई है। प्रदेश के पांच जिलों में सड़क परिवहन प्राधिकरण ने इन रूटों को स्वीकृति दी है।

परिवहन विभाग ने शिमला जिला के रामपुर के अलावा चंबा, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर जिला के 52 रूटों को निजी ऑपरेटरों को आवंटित कर दिया है। अन्य जिलों में सड़क परिवहन प्राधिकरण की स्वीकृति के बाद रूट निजी बस ऑपरेटर को जारी किए जाएंगे। इन रूटों पर एक महीने के भीतर निजी बस ऑपरेटरों को बसों का संचालन शुरू करना होगा। निदेशक परिवहन विभाग डीसी नेगी ने इसकी पुष्टि की है। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक–12.नवम्बर.2024

पेज न0.9, कालम–7

बसों के संचालन को लेकर निदेशक के सामने रखा पक्ष

शिमला। जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को मिली बसों के संचालन के मामले में निजी बस ऑपरेटरों और एचआरटीसी के अधिकारियों ने निदेशक परिवहन विभाग के समक्ष पक्ष रखे।

निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर और महासचिव रमेश कमल ने बताया कि जेएनएनयूआरएम के तहत प्रदेश को 13 क्लस्टरों में संचालन के लिए बसें दी हैं। निगम इन बसों का क्लस्टर से बाहर चला रहा है। इसे लेकर निजी बस ऑपरेटर संघ जब कोर्ट गया तो न्यायालय ने भी निगम को क्लस्टरों के भीतर ही बसों के संचालन के निर्देश दिए। इसके बावजूद एचआरटीसी आदेशों का पालन नहीं कर रहा। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक–13.नवम्बर.2024
पेज न0.10, कालम–7

रोड सेफ्टी के लिए हर स्कूल को दस व कॉलेज को मिलेंगे 25 हजार रुपये

वरिष्ठ संवाददाता ▮ शिमला

स्कूल व कॉलेजों में रोड सेफ्टी को लेकर बजट जारी हो गया है। शिक्षण संस्थानों के लिए वर्ष 2024-25 के रोड सेफ्टी एनुअल एक्शन प्लान स्कूल-कॉलेजों को जारी कर दिया गया है। ऐसे में संस्थानों को इस प्लान के मुताबिक गतिविधियां करवानी होंगी। इस दौरान 1985 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों और 143 कॉलेजों को यह बजट जारी किया गया है। 10 हजार प्रति स्कूल और 25 हजार प्रति कॉलेज के हिसाब से बजट जारी किया गया है। विभाग ने सभी डीडीएचई को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित सीनियर सेकंडरी स्कूलों को 100 प्रतिशत धनराशि वितरित करना सुनिश्चित करें।

▮ 1985 सी. सेकंडरी स्कूलों, 143 कॉलेजों को बजट जारी

बता दें कि पहले स्टेट लेवल मैनेजिंग कमिटी में इस प्लान पर चर्चा हुई। इसके बाद इसे एचपी स्टेट ट्रांसपोर्ट डेवलेपमेंट एंड रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग में मंजूरी के लिए भेजा गया। मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग को इस प्लान के कार्यान्वयन के लिए 2 करोड़ 34 लाख 25 हजार का बजट भी दिया गया था, जिसे विभाग ने शिक्षण संस्थानों में वितरित कर दिया है। इस दौरान विभाग ने शिक्षण संस्थानों को प्रत्येक लेन-देन के लिए उचित प्रविष्टि के साथ अलग कैशबुक बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मूल बिल/वाउचर को लेखा परीक्षा प्रयोजन के लिए संस्थागत स्तर पर रखा जा सकता है। इसके अलावा सभी व्यय हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009, हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम, 2017 और सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारित अन्य संबंधित नियमों, विनियमों के अनुपालन में किए जाएंगे। छात्रों के लाभ के लिए इस बजट का इस्तेमाल एसओपी के अनुसार किया जाएगा। इसके अलावा गतिविधियों के पूरा होने के बाद उनके उपयोग प्रमाणपत्र और व्यय का सार निर्धारित प्रारूपों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करके निर्धारित समय के भीतर इस निदेशालय को भेजा जाएगा।

15 से 26 नवंबर तक मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस

केंद्र सरकार ने प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में 15 से 26 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस मनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए संस्थानों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो संस्थानों में यह गतिविधियां करवाएगा और इसकी रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेजेगा। इस दौरान जनजातीय मामले मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम का शेड्यूल भी जारी किया है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–13.नवम्बर.2024
पेज न0.2, कालम–1,2

सोलन-हमीरपुर में व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर खोलने की अनुमति

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य की 2 कंपनियों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर खोलने की प्रारंभिक अनुमति दी है। अब इन्हें वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए सेटअप तैयार करना होगा। सेटअप तैयार होने के बाद ही इन कंपनियों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा राज्य के सोलन व हमीरपुर में व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है।

पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए सड़कों पर पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़क पर से हटाने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है। इसके तहत हिमाचल में भी 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहनों को स्क्रैप किया जा रहा है। मौजूदा समय में हिमाचल में अभी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अभी पड़ोसी राज्यों में ही वाहनों को स्क्रैप कराना पड़ रहा है। ऐसे में वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बाहरी राज्यों में ले जाना महंगा पड़ रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत वाहन

▮ सेटअप तैयार करने के बाद कंपनियों को मिलेगा लाइसेंस

15 साल पूरे होने पर पंजीकरण होगा रद

भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 29 ई के तहत 16 जनवरी 2023 को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के नियमों को लेकर संशोधन की अधिसूचना जारी हुई थी। इस अधिसूचना के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक 15 साल पूरे होने पर सरकारी वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद किया गया है। इसी तरह से सरकारी वाहनों के पंजीकरण के 15 साल पूरे होते ही अब खुद ही पंजीकरण प्रमाणपत्र रद समझा जाएगा।

स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र खोले जाने की योजना है जिसके तहत अभी जिला सोलन और हमीरपुर जिला में आरवीएसएफ सेंटर खोले जाने की अनुमति दी गई है। बताया जा रहा है कि यह सेंटर सोलन जिला के प्लॉट नंबर 5 इंडस्ट्रियल एरिया बनालगी और हमीरपुर जिला में वीपीओ गौना करोर तहसील नादौन में स्थापित किए जाएंगे। प्रारंभिक अनुमति के तहत इन्हें पहले सेटअप तैयार करना होगा। उसके बाद ही कंपनियों को लाइसेंस जारी किया जाएगा।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–1 3नवम्बर.2024
पेज न0.3, कालम–1,2

आरटीओ नालागढ़ के ड्राइवर को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, मौत

पुलिस थाना मानपुरा में मामला दर्ज, मोटरसाइकिल चालक गिरफ्तार

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▪ मानपुरा

पुलिस थाना मानपुरा के तहत मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में आरटीओ के चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस थाना मानपुरा में बाइक चालक ने आरटीओ नालागढ़ के ड्राइवर को टक्कर मार दी। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। मानपुरा थाना पुलिस ने जहां इस संदर्भ में मामला दर्ज करते हुए आरोपी मोटरसाइकिल चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार सुबह करीब आठ बजे घटी। घटना के वक्त चालक रमेश चंद आरटीओ के साथ नाकाबंदी के लिए गया था। इसी दौरान

मानपुरा चौक पर तेज रफ्तार बाइक ने रमेश चंद को टककर मार दी। इस हादसे में रमेश चंद को गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत सीएचसी नालागढ़ लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को दिए बयान में आरटीओ मदनलाल ने बताया कि वह मंगलवार सुबह 7:10 पर कृष्ण लाल, बलविंदर व ड्राइवर रमेश चंद के साथ मानपुरा गुरुद्वारे के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान करीब आठ बजे एक बाइक तेज रफ्तार में सामने खड़ी उनकी गाड़ी (एचपी 93 2000) के साथ खड़े उनके

> पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी मोटरसाइकिल चालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है।
>
> **- अशोक वर्मा, एएसपी, बद्दी।**

ड्राइवर रमेश चंद से जा टकराई। इसके बाद रमेश चंद मौके पर ही सड़क पर गिर गया व साथ ही बाइक चालक भी वहीं पर गिर गया, जिसके बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया। विभाग के लोग रमेश चंद को इलाज के लिए नालागढ़ अस्पताल ले आए जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, बाइक चालक को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–1 3नवम्बर.2024
पेज न0.3, कालम–1,2

नाराजगी | निजी बस ऑपरेटरों ने लगाया एचआरटीसी और उनके लिए अलग-अलग नियम लागू करने का आरोप

एचआरटीसी को अस्थायी रूट परमिट देने का विरोध

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। परिवहन विभाग की ओर से एचआरटीसी को अस्थायी रूट परमिट देने पर निजी बस ऑपरेटर संघ ने कड़ी नाराजगी जताई है।

हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल का कहना है कि परिवहन विभाग एचआरटीसी और निजी बस ऑपरेटरों के लिए अलग-अलग नियम लागू कर रहा है जो कानून गलत है। परिवहन विभाग के दोहरे रवैये के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है।

परिवहन विभाग की ओर से एचआरटीसी को दिए जा रहे अस्थायी रूट परमिटों से निजी बस ऑपरेटरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिना औपचारिकताएं पूरी किए एचआरटीसी को मनमाने तरीके से अस्थायी रूट परमिट दिए जा रहे हैं। निजी बस ऑपरेटरों को अपने रूटों में आंशिक परिवर्तन के लिए भी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है।

आरोप लगाया कि कई रूटों पर एचआरटीसी को निजी बसों के आगे अस्थायी परमिट दे दिए गए हैं इससे बस ऑपरेटरों को नुकसान हो रहा है। जल्द ही निजी बस ऑपरेटर संघ का प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर निदेशक परिवहन के साथ बैठक भी करेगा।

अपर शिमला के लिए लक्कड़ बाजार से चलें बसें

निजी बस ऑपरेटर संघ ने सरकार से शिमला से जिला किन्नौर, मंडी जिले के करसोग और ऊपरी शिमला के लिए बसों का संचालन नवनिर्मित ढली बस अड्डे के स्थान पर आईएसबीटी से पुराने लक्कड़ बाजार बस अड्डे से होकर करने की मांग उठाई है। संघ के महासचिव रमेश कमल का कहना है कि 300 से अधिक बसें शिमला से इन रूटों पर चलती हैं। इसलिए मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहनी चाहिए। संघ ने अवैध रूप से स्टेज कैरेज के तहत चलाए जा रहे टेंपो ट्रैवलर और ट्रैक्स के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।

अमर उजाला, दिनांक–18.नवम्बर.2024

पेज न0.6, कालम–4,5,6

प्लान | योजना के पहले चरण में जल्द मिलेंगी टैक्सियां; सरकारी विभागों के साथ अटैच होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, ई-व्हीकल खरीदने पर मिलेगी 50 फीसदी सबसिडी

ई-टैक्सी खरीदने के लिए बनेगी 100 और युवाओं की लिस्ट

चीफ रिपोर्टर – शिमला

- बैंकों के साथ हुआ है प्रदेश सरकार का करार
- 50 हजार रेंट पर महकमों में लगाई जाएंगी ई-टैक्सियां
- 15 साल पुराने वाहनों की जगह चलाई जाएंगी बिजली की गाड़ियां

प्रदेश सरकार की ई-टैक्सी योजना अब जल्दी ही धरातल पर उतरने वाली है। इससे संबंधित सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में उन 100 युवाओं को ई-टैक्सी लेने के लिए चयनित किया गया है जिन्होंने आवेदन किए हैं। अब परिवहन विभाग और 100 युवाओं का पैनल देगा, जिनका चयन पहले ही किया जा चुका है। कुल मिलाकर ऐसे 500 युवाओं को चुना जाना है, जो चाहते हैं कि वे ई-टैक्सी लेकर सरकार के विभागों में उनको जोड़ें और सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई है, उसका लाभ लें। सरकार उनको 50 फीसदी सबसिडी दे रही है और 40 फीसदी राशि इनको लोन के रूप में दिला रही है, जिसकी किस्तें भी सरकार ही भरेगी। इसमें टैक्सी अटैच होने के साथ व्यक्ति को खुद चालक का काम करना होगा। 10 फीसदी पैसा भी बेरोजगार युवा को देना होगा और जल्दी ही उसकी टैक्सी फ्री हो जाएगी। इस योजना का लाभ जल्द से जल्द युवाओं को देने और ऐसे विभागों जहां पर जरूरत है, वहां पर टैक्सिया लगाने को कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। भविष्य में कोई भी सरकारी विभाग, बोर्ड व निगम अब डीजल व पेट्रोल वाहन नहीं खरीदेंगे। 15 साल पुराने हो चुके वाहनों को बदल कर उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन ही दिए जाएंगे। शनिवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजीव स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी को मंजूर कर दिया है। इसमें अब तीन पक्षीय समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होंगे। इसके लिए चार अलग-अलग बैंक अधिकृत किए गए हैं, जिनके माध्यम से यह लोन दिया जाएगा। इसमें बैंक जो लोन देगा, श्रम एवं रोजगार विभाग व गाड़ी खरीदने वाला उसमें शामिल होंगे। 50 हजार रेंट पर ई-टैक्सी को सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों के साथ अटैच किया जाएगा। सरकार गाड़ी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी सरकार द्वारा देगा। 40 प्रतिशत राशि पर बैंक लोन होगा और 10 प्रतिशत राशि युवाओं को खुद का शेयर देना होगा। पिछले वित्त वर्ष में बजट श्रम एवं रोजगार विभाग को नहीं मिल पाई थी, मगर इस बार राशि मंजूर हो गई है। इसकी जानकारी श्रम विभाग को मिल गई है। अब वह उन युवाओं से आवेदन आमंत्रित करेगा, जिनका चयन इस योजना के तहत किया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए ई-टैक्सी योजना लाने का ऐलान किया था। बीच में चुनाव आचार संहिता लग गई, लिहाजा योजना को लागू करने में देरी हो गई। कैबिनेट मंजूरी के बाद अब इस योजना को औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा।

विभागीय औपचारिकताएं पूरी

परिवहन विभाग की तरफ से सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। अब मामला पूरी तरह से श्रम एवं रोजगार विभाग के हवाले है, क्योंकि वही नोडल डिपार्टमेंट है, मगर आने वाले समय में जिन विभागों, बोर्डों व निगमों से डिमांड आएगी, उसको पूरा करने के लिए परिवहन विभाग पहले युवाओं का पैनल देगा और उसी पैनल को आगे श्रम विभाग आवेदनों के लिए अधिकृत करेगा। उसमें छंटनी के बाद उनको इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा। पहले चरण की योजना के बाद यह दूसरे चरण की योजना के लिए तैयारी की जा रही है।

दिव्य हिमाचल, दिनांक–18.नवम्बर.2024

पेज न0.2, कालम–1,2,3,4,5,6

सुविधा

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की टीम जल्द करेगी ऑडिट, जनवरी से होगी शुरुआत

सोलन में बनेगा हिमाचल का पहला स्क्रैप सेंटर

आदित्य सोफत

सोलन। प्रदेश में सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी को जमीनी स्तर पर उतारने का कार्य शुरू कर दिया है। प्रदेश के जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बनलगी में प्रदेश का पहला स्क्रैप सेंटर खुलने वाला है।

जनवरी में यहां पर कॉमर्शियल समेत निजी वाहनों की स्क्रैप के तहत खरीद शुरू हो जाएगी। इसी के साथ कोई ऐसा वाहन जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, उसे भी यहां खरीदा जाएगा। प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई सेंटर नहीं है, जहां पर 15 वर्ष पुराने वाहनों को लोग बेच सकें। अब सरकार ने बनलगी में निजी कंपनी को एनओसी दी है। प्लांट लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है। प्लांट लगाने का कार्य लगभग 90 फीसदी पूरा हो गया है। इसी के साथ प्रदेश उद्योग और परिवहन विभाग ने भी संबंधित कंपनी संचालक को सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। बस अब इंतजार केवल सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सर्टिफिकेट का है। इसके लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की टीम जल्द ऑडिट करेगी। ऑडिट के बाद सर्टिफिकेट जारी होने के बाद जनवरी में पुराने वाहनों को लोग यहां पर आसानी से बेच सकेंगे।

अमर उजाला एक्सक्लूसिव

गौर रहे कि सरकार की ओर से प्रदेश में प्रदूषण को कम करने के लिए स्क्रैप पॉलिसी बनाई गई है। हालांकि शुरुआत में इस पॉलिसी को विभागों में ही लागू किया गया है। इसके लागू होने के बाद से कई विभागों से 15 वर्ष पूरे कर चुके वाहनों को हटा दिया गया है। हालांकि कोई निजी वाहनों को भी अपनी स्वेच्छा के अनुसार 15 वर्ष बाद स्क्रैप करना चाहता है तो उसे भी यह सुविधा दी जा रही है। लेकिन अभी तक स्क्रैप वाहनों में सरकारी वाहनों की संख्या ज्यादा है। लेकिन अब सेंटर की सुविधा मिलने के बाद उम्मीद है कि लोग निजी वाहनों को स्क्रैप करेंगे। संवाद

स्क्रैप पर मिलते हैं लाभ

प्रदेश में पुराने निजी वाहनों को स्क्रैप में देना अभी जरूरी नहीं है। लेकिन 15 साल बाद निजी वाहनों को स्क्रैप में दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे वाहन स्क्रैप करता है तो उसे सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। जब व्यक्ति नया वाहन खरीदेगा तो सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर उसे टैक्स में भी छूट का प्रावधान है। हालांकि स्क्रैप के तहत उसे वाहन का मूल्य भी दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की 9 फरवरी की अधिसूचना के मुताबिक (टोकन/रोड/स्पेशल रोड टैक्स) में गैर परिवहन वाहनों पर 25 फीसदी और परिवहन वाहनों पर 15 फीसदी छूट दी जाएगी।

नहीं हो सकेगा मिस यूज

स्क्रैप पॉलिसी के तहत सेंटर में जाने वाले वाहनों का मिस यूज भी नहीं हो सकेगा। नियमों के अनुसार वाहनों को स्क्रैप में लिया जाएगा। अभी तक यदि कोई व्यक्ति वाहनों को स्क्रैप में बेचता था तो लोगों को वाहनों के मिस यूज का डर भी सताता रहता था। इसी के साथ लोगों को सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाता था।

बनलगी में स्क्रैप प्लांट लगाया जा रहा है। इसका कुछ कार्य बाकी है। जल्द यह पूरा हो जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय की टीम भी आगामी दिनों में ऑडिट के लिए आएगी। जनवरी में यहां वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू होगी। **-मुकेश ठाकुर, मैनेजर, साहनी इंटरप्राइजेज आरवीएसएफ बनलगी।**

प्रदेश का पहला स्क्रैप सेंटर बनलगी में खुलेगा। विभागों की तरफ से कार्य पूरा कर दिया गया है। **-सुरेंद्र ठाकुर, जिला महाप्रबंधक, उद्योग विभाग और आरटीओ सोलन।**

अमर उजाला, दिनांक–19.नवम्बर.2024

पेज न0.7, कालम–1,2,3,4

बिलासपुर में आरटीओ ने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर तीन निजी बसें की जब्त

घुमारवीं में वाहनों का निरीक्षण कर 18 चालान कर 63 हजार जुर्माना वसूला

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▮ बिलासपुर

बिलासपुर में परिवहन विभाग ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले निजी ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बसों को अपने कब्जे में लिया है। इन बस ऑपरेटरों को शनिवार तक अपने जरूरी दस्तावेज जमा करवाने को कहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कौशल ने अपनी टीम के साथ किए निरीक्षण के दौरान 3 निजी बसों में जरूरी दस्तावेजों को पूरा नहीं पाया। इनमें परमिट, पासिंग, कर व बीमा शामिल है।

इस पर आरटीओ ने इन बसों को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कौशल की टीम ने घुमारवीं में भी वाहनों का निरीक्षण किया व 18 चालान किए। इनमें एक निजी बस में क्षमता से अधिक सवारियां पाई गईं। इसमें से अन्य सवारियों को दूसरी बस

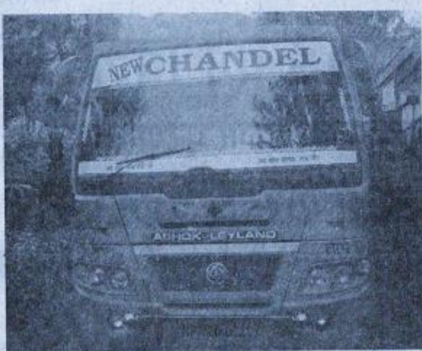

स्कूल का पंजीकरण अधूरा पाया गया व यह बस एप्लाइड फार पाई गई। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने 63 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया है।

उधर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कौशल ने बताया कि निरीक्षण

दस्तावेज पूरा नहीं है। इस कारण इन बसों को जब्त कर लिया गया है व शनिवार तक जरूरी दस्तावेज जमा करवाने को कहा है। इसके अलावा घुमारवीं में भी वाहनों का निरीक्षण कर 18 चालान किए हैं।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–23 नवम्बर. 2024

पेज न0.06, कालम–1,2,3

किन्नौर जिला में 31 हादसे; 31 की मौत, 35 जख्मी

दिव्य हिमाचल ब्यूरो–रिकांगपिओ

उपायुक्त किन्नौर डाक्टर अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में उपायुक्त सभागार रिकांगपिओ में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें समिति के सभी सदस्यों को उनके कार्य के बारे में अवगत करवाया गया। बैठक में उपायुक्त ने अवगत करवाया कि आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के अतिरिक्त यदि कोई आम नागरिक सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को गोल्डन अवर में अस्पताल पहुंचाने पर प्रति दुर्घटना पांच हजार रुपए इनाम की राशि दी जाती है, ताकि दुर्घटना में घायल व्यक्ति का समय पर उपचार हो सके। उन्होंने सभी सदस्यों को अपने विभाग से संबंधित कार्य योजना को समय पर बनाकर जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कमेटी को सौंपे, ताकि समय पर योजना को कार्यान्वित किया जा सके। उन्होने सदस्यों से कहा कि जिला में होने वाले दुर्घटनाओं का डाटा समय पर एनआईसी की साइट पर डालें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि टैक्सी चालक, पथ परिवहन व ट्रक के चालकों के लिए कैंप का आयोजन कर उनके आंखें जांच लें व फस्ट ऐड के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कमेटी के सदस्यों से कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, क्रैश बैरियर व पैराफीट लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2024-25 में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कहा और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक करें और उपमंडल स्तर पर भी सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक आयोजित करें। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के तहत पाठशालाओं की बसों का निरीक्षण करें और मेलों व उत्सवों में अनाधिकृत वाहनों में लोगों को ले जाने से रोकना होगा, ताकि दुर्घटना की संभावना कम हो। सड़क सुरक्षा संबंधित प्रचार व प्रसार सामग्री अधिक से अधिक लोगों तक आबंटित की जाए, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधीक्षक किन्नौर अभिषेक शेखर ने वर्ष 2024 के दौरान जिला में हुए सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष जिला में 31 सड़क दुर्घटना हुई, जिनमें 31 व्यक्तियों की मृत्यु हुई व 35 लोग घायल हुए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए पुलिस द्वारा वाहन चालकों को समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है और शराब पीकर वाहन चालाने वाले चालकों का चालान के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रामपुर जसपाल सिंह नेगी ने भी लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक के लिए हिमाचल पथ परिवहन विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों से अवगत करवाया। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी (ना.) निचार नारायण एस चौहान, उपपुलिस अधीक्षक नवीन झाल्टा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सोनम नेगी, उपनिदेशक उच्च शिक्षा कृष्ण गोपाल नेगी व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

रिकांगपिओ। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक करते उपायुक्त डाक्टर अमित कुमार शर्मा

दिव्य हिमाचल , दिनांक–24 नवम्बर. 2024
पेज न0.02, कालम–2,3,4,5,6,7

वाहनों में ओवरलोडिंग पर 365 चालकों के चालान

अमर उजाला ब्यूरो

पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए शुरू किया विशेष अभियान

18 नवंबर से अभी तक 5,215 वाहनों को जांचा, 570 पर की गई कार्रवाई

शिमला। प्रदेश में बसों समेत अन्य यात्री वाहनों में जमकर ओवरलोडिंग हो रही है। इससे हजारों लोग हर रोज जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। प्रदेश पुलिस विभाग ने यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए अभियान चलाया है। इसमें यह बात सामने आई है।

पुलिस विभाग ने 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत अभी तक 5,215 वाहनों की जांच की गई है। सबसे अधिक चालान यात्री वाहनों के ओवरलोडिंग के काटे गए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बसों समेत टैक्सियों में क्षमता से अधिक यात्रियों को ढोया जा रहा है। इससे हर समय हादसा होने का खतरा बना रहता है।

इस दौरान वाहनों की जांच में 570 यात्री वाहनों के ओवरलोडिंग के चालान काटे गए हैं। इसके अलावा बिना परमिट के 37 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। असुरक्षित माल परिवहन पर 45, मालवाहक वाहनों में अवैध रूप से यात्रियों को ढोने पर 26 चालान किए गए हैं। इसके अलावा बीमा नहीं होने पर 34 वाहनों के चालान काटे गए हैं। पुलिस विभाग के मुताबिक सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है।

ओवरलोडिंग के सबसे अधिक मामले

"सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यह विशेष अभियान चलाया गया है। इस दौरान यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं जिनके चालान काटे हैं। -नरवीर राठौर, एएसपी, यातायात, पर्यटन एवं रेलवे विभाग

अमर उजाला , दिनांक–24 नवम्बर. 2024
पेज न0.02, कालम–6,7

वाहनों को मोडिफाई करने पर 60 हजार लगा जुर्माना

शोघी में ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कार्रवाई

शिमला। राजधानी में निजी वाहनों और बसों को मोडिफाई करना वाहन चालकों को मंहगा पड़ा। शनिवार रात को ट्रैफिक मजिस्ट्रेट सोमदेव की अगुवाई में पुलिस टीम ने 26 वाहनों से एलईडी लाइटें निकलवाकर कार्रवाई की।

शिमला-सोलन राष्ट्रीय हाईवे पर शनिवार को शोघी बैरियर में पुलिस ने नाकेबंदी कर विशेष अभियान चलाया। देर शाम करीब साढ़े 6 बजे से रात साढ़े 8 बजे तक किए निरीक्षण के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर 26 वाहनों के चालान कर करीब 60 रुपये जुर्माना वसूला गया। इससे पहले निरीक्षण के दौरान सोलन की तरफ आ रहे पंजाब के टैक्सी नंबर के ट्रैवलर वाहन को रोका। इसमें सैलानी सवार थे।

वाहनों को चारों तरफ से एलईडी से मोडिफाई करवाया था। वाहन में ब्लैक फिल्म भी लगी मिलीं। नंबर प्लेट के सामने लोहे का एंगल लगाया था। पुलिस टीमों ने वाहन चालक से लोहे के एंगल और ब्लैक फिल्म निकालने के बाद 9500 रुपये का चालान काटकर कार्रवाई की। इस दौरान पांच निजी बसों से भी एलईडी लाइटें उतरवाई गईं।

दरसअल कुछेक वाहन चालक ऑनलाइन चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट के आगे अतिरिक्त मोडिफिकेशन कर रहे हैं ताकि आईटीएमएस कैमरे नंबर प्लेट को रीड (पहचान) न सके। इस दौरान ट्रैफिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को वाहनों में अतिरिक्त मोडिफिकेशन करने और ब्लैक फिल्म लगाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर ट्रैफिक

नियमों की अवहेलना करने वालों पर ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा रहा। कुछ चालकों ने रास्ते में ही वाहन खड़े कर दिए। संवाद

सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 140 चालान

शिमला। परिवहन विभाग की टीमों ने यातायात नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई करते हुए 140 वाहनों के चालान काटे हैं। विभाग ने वाहन चालकों को 80,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।

परिवहन विभाग की टीमों ने दो दिन में यह कार्रवाई अमल में लाई है। इसमें आरटीओ शिमला की विभिन्न टीमों ने शोघी, जुब्बल और ठियोग में नाकाबंदी की। इस दौरान व्यावसायिक वाहनों में ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट नहीं पहनने, फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म होने, बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की है। परिवहन विभाग के मुताबिक उन्हें लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि व्यावसायिक वाहनों में यातायात नियमों की अवहेलना हो रही है। इसको देखते हुए आरटीओ शिमला के निर्देश पर विभिन्न टीमों को शोघी नेशनल हाईवे, जुब्बल और ठियोग में कार्रवाई के लिए भेजा गया। आरटीओ अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि टीमों ने दिनभर वाहनों की नियमित जांच के बाद 140 वाहनों के चालान काटे हैं। इसमें करीब 80,000 रुपये जुर्माना लगाया है। इसमें से 40,000 रुपये जुर्माना वसूल कर लिया है, जबकि 40,000 रुपये जुर्माना वसूल करना शेष है। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक–25.नवम्बर. 2024

पेज न0.05, कालम–1,

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जब्त की निजी बस और टेंपो, 49 हजार जुर्माना वसूला

हिमाचल दस्तक ■ शाहतलाई

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर ने वीरवार को शाहतलाई में औचक निरीक्षण किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कौशल ने शाहतलाई, बरठीं व कोटधार के अलग-अलग स्थानों पर नाका लगाकर वाहनों के कागजात चेक करने के साथ साथ चालकों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि जुर्माने व टैक्स के रूप 49 हजार वसूला। वहीं इस दौरान बिना कागजात के निजी बस व पंजाब नंबर के एक टेंपो को जब्त कर लिया।

उन्होंने वाहन चालकों से आग्रह किया कि वे न केवल स्वयं यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि वाहनों चालकों की भूमिका सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अहम है। उन्होंने बताया कि नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने वाहन चालकों को नशे की हालत व रफ्तार से वाहन न चलाएं व दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहने को कहा, जबकि टैक्सी चालकों व निजी बस चालक व परिचालक को हिदायत दी कि वाहन चलाते समय स्टीरियो व प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करें।

12 वाहनों के चालान काटे

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर राजेश कौशल ने कहा कि शाहतलाई सहित कई अन्य स्थानों पर नाका लगाकर करीब 50 से ज्यादा वाहनों के कागजात चैक किए। इनमें से 12 वाहनों के चालान काटे गए। इनमें से तीन वाहनों ने मौके पर भुगतान किया, जबकि 9 चालान पेंडिंग है। एक निजी बस बिना परमिट व बिना इंश्योरेंस व पंजाब नंबर के एक टेंपो के कागजात न होने पर जब्त कर लिया। उन्होंने बताया कि जुर्माने व टैक्स के रूप 49000 हजार वसूला।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–29.नवम्बर. 2024

पेज न0.06, कालम–1,2